

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद सं०-18 / 2024 अपरिहार्य कारण से इस वाद की सुनवाई स्थगित की जाती है। उभय पक्ष को सूचित करें।  (शबनम परवीन) सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।	